प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला– ओ.पी. ए.सी.बी नागौर, थाना – प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर। वर्ष–2023 प्र0इ0रि0 सं. 2/23 दिनांक.. 5/1/2023

2. (I) अधिनियम :– धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018
   (II) अधिनियम ....भा.दं.सं......... धारायें ....120बी भा.दं.सं.
   (III) अधिनियम .... धारायें ....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....82............... समय ....11:50 Am........
   (ब) अपराध घटने का दिन – बुधवार, दिनांक 04.01.2023 समय 10.55 ए.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ...01.01.2023...समय ...... 05.11 पी.एम.......

4. सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :– राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, लिचाना, तहसील नावां, जिला नागौर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– बजानिब पूर्व करीब 145 कि.मी.
   (ब) बीट संख्या.........................जयरामदेही सं...
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....जिला ....

6. (i) परिवादी :–
   (अ) नाम – श्री परमाराम
   (ब) पिता/पति का नाम – श्री चुनाराम
   (स) जन्म तिथी– उम्र – 24 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय – अध्ययन
   (ल) पता – निवासी लिचाना, पुलिस थाना कुचामन सिटी, तहसील नावां, जिला नागौर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
   1. श्रीमती अनिता गजराज पुत्री श्री बजरंग लाल जाति जाट उम्र 38 साल निवासी चिड़ावा वार्ड नम्बर 11, पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुन्झूनू हाल ए.एन.एम. राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, लिचाना, तहसील नावां जिला नागौर।
   2. श्रीमती सरोज यादव पत्नी श्री महेन्द्र यादव जाति यादव उम्र 49 वर्ष निवासी गांव चौकी गोरधनपुरा पुलिस थाना कोटपुतली जिला जयपुर हाल ए.एन.एम. राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, गोगोर तहसील नावां जिला नागौर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..............
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)..... ....
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य – 3,000/– रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर

विषय :– श्रीमती अनिता नर्स स्वास्थ्य केन्द्र लिचाणा को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं परमाराम S/O चुनाराम जाति मेघवाल उम्र 24 वर्ष निवासी लिचाणा तहसील नावां जिला नागौर का निवासी हूं। मेरे सगा छोटा भाई अशोक की धर्मपत्नी श्रीमती पूजा मेघवाल के पुत्री का जन्म हुआ है। जिसका राजश्री योजना का लाभ लेने के सम्बधित कागजात

बनवाने का श्रीमती अनिता नर्स द्वारा दिनांक 01.01.2023 को मेरे को कहा कि इन कागजात का तैयार करने का 3,000 रू. का खर्चा लगेगा। मैं मेरे जायज काम के बदले रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। श्रीमती अनिता नर्स को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। मेरी श्रीमती अनिता नर्स लिचाना से किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है नहीं मेरी किसी प्रकार की उधार लेनदेन है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि श्रीमती अनिता नर्स लिचाणा को रंगे हाथ पकड़ने की कानूनी कार्यवाही करावें।

दिनांक 02.01.2023

भवदीय
एसडी परमाराम
परमाराम S/O श्री चुनाराम
लिचाणा, नावां, नागौर
9587649254

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

निवेदन है कि दिनांक 01.01.2023 को वक्त 05.11 पी.एम. पर ब्यूरो मुख्यालय से जरीये फोन नम्बर 01412712263 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9414420120 पर फोन कर बताया कि परिवादी श्री परमाराम निवासी लिचाना के मोबाईल नम्बर 9587649254 व 7877350670 से हैल्पलाईन नं. 1064 पर रिश्वत मांगने से संबंधित शिकायत दर्ज करवाई गई है, अतः आप परिवादी से उपरोक्त मोबाईल नम्बरों पर सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करें। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के उपरोक्त मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि मैं नागौर आने में असमर्थ हूं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने पूछताछ कर कल दिनांक 02.01.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कानि0 श्री कानाराम को भिजवाने का बताया जाकर समझाईश की गई कि उप स्वास्थ्य केन्द्र लिचाना पर जाकर आरोपिता श्रीमती अनिता ए.एन.एम. से सम्पर्क कर अपने कार्य से संबंधित वार्ता करें व रिश्वत राशि की मांग करने पर अग्रिम कार्यवाही करने का आश्वासन देकर हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 02.01.2023 को श्री कानाराम कानि0 नं0 532 को कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर सुपुर्द करते हुए रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के लिए परिवादी के मोबाईल नम्बरों व पते से अवगत करवाया जाकर हिदायत दी गई कि परिवादी से लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता हेतु टेप रिकॉर्डर बन्द चालू करने की विधि समझाईश कर परिवादी को सुपुर्द करें तथा बाद रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुरक्षित लाकर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करें। बाद हिदायत कानि0 श्री कानाराम को परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु ग्राम लिचाना की ओर रवाना किया गया। वक्त 04.00 पी.एम. पर परिवादी श्री परमाराम ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरीये मोबाईल फोन कर बताया कि मेरी आरोपिता श्रीमती अनिता नर्स से मेरे कार्य के संबंध में बातचीत हो गई है तथा मेरे भाई की पुत्री के जन्म पर राजश्री योजना का लाभ दिलवाने के लिए 3000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की है, जिस पर परिवादी को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपयों की व्यवस्था कर चौकी नागौर आने की हिदायत दी गई तो परिवादी ने बताया कि रिश्वत राशि की व्यवस्था होने पर मैं आपको बता दूंगा तथा मैं दूरी अधिक होने व गरीब होने से नागौर आने में असमर्थ हूं। ताबाद वक्त 09.00 पी.एम. पर श्री कानाराम कानि0 उपस्थित चौकी आया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय परिवादी श्री परमाराम द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत कर परिवादी द्वारा मोबाईल पर मन् पुलिस निरीक्षक को बताये गये कथनों की ताईद की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आश्य का प्राप्त हुआ कि मैं परमाराम S/O चुनाराम जाति मेघवाल उम्र 24 वर्ष निवासी लिचाणा तहसील नावां जिला नागौर का निवासी हूं। मेरे सगे छोटे भाई अशोक की धर्मपत्नी श्रीमती पूजा मेघवाल के पुत्री का जन्म हुआ है। जिसका राजश्री योजना का लाभ लेने के सम्बधित कागजात बनवाने का श्रीमती अनिता नर्स द्वारा दिनांक 01.01.2023 को मेरे को कहा कि इन कागजात का तैयार करने का 3,000 रू. का खर्चा लगेगा। मैं मेरे जायज काम के बदले रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। श्रीमती अनिता नर्स को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। मेरी श्रीमती अनिता नर्स लिचाना से किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है नहीं मेरी किसी प्रकार की उधार लेनदेन है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि श्रीमती अनिता नर्स लिचाणा को रंगे हाथ पकड़ने की कानूनी कार्यवाही करावें। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिकार्ड वार्ता से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आरम्भ की गई। दिनांक 03.01.2023 को परिवादी श्री परमाराम ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर फोन कर बताया कि मैंने रिश्वत में दिये जाने

वाले रूपयों की व्यवस्था कर ली है, मैं श्रीमती अनिता नर्स को कल रिश्वत राशि व कागज दूंगा, लेकिन मैं नागौर आने में असमर्थ हूं। जिस पर परिवादी को सुबह 09.00 ए.एम. पर रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर कस्बा मीठड़ी के पास उपस्थित होने के निर्देश दिये गये तथा श्री कुमेरदान कानि0 नं0 194 को दो स्वतन्त्र गवाहों की तलबी हेतु श्रीमान उप वन संरक्षक, वन विभाग, नागौर के नाम की तहरीर देकर रवाना किया गया। कुछ समय बाद श्री कुमेरदान कानि0 मय दो स्वतन्त्र गवाहान श्री छोटूसिंह पुत्र स्व0 श्री सीताराम जाति रावणा राजपूत उम्र 26 वर्ष निवासी निम्बड़ी चान्दावता, पुलिस थाना कुचेरा, तहसील डेगाना, जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप वन संरक्षक, वन विभाग, नागौर व श्री सुरेश पंवार पुत्र श्री दानाराम जाति मेघवाल उम्र 26 वर्ष निवासी गुर्जर खेड़ा, पोस्ट ताऊसर, पुलिस थाना कोतवाली नागौर तहसील व जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप वन संरक्षक, वन विभाग, नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों गवाहान से परिचय किया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढाया गया व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य मुख्य अंश सुनाये गये जिस पर दोनों गवाहान ने सन्तुष्ट होकर स्वतन्त्र गवाह बननें की सहमति प्रदान की। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों गवाहान व समस्त कार्यालय स्टाफ को सुबह 7.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर दोनों गवाहान को रूखसत किया गया। दिनांक 04.01.2023 को पूर्व से पाबंद सुदा कार्यालय हाजा का स्टाफ व स्वतंत्र गवाहान श्री छोटूसिंह व श्री सुरेश पंवार उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। ताबाद मन् पुलिस निरीक्षक सुशीला विश्नोई मय स्वतंत्र गवाहान श्री छोटूसिंह व श्री सुरेश पंवार मय ट्रेप दल के सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि. 48, नेमीचन्द कानि0 405, कुमेरदान कानि0 194, बालाराम कानि0 554, प्रेमाराम कानि0, राजेन्द्र झूरिया कानि. 150, श्री कानाराम कानि0 532 व श्रीमती संगीता म.कानि0 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह व एक प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही ग्राम लिचाना तहसील नावां जिला नागौर को रवाना होकर कस्बा मीठड़ी के बाहर जयपुर रोड़ पर पहुंची। जहां पूर्व पाबंद सुदा परिवादी श्री परमाराम उपस्थित मिला। सरकारी व प्राईवेट वाहन को साईड में खड़ा किया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री परमाराम को रिश्वत में दी जानें वाली राशि पेश करने का कहने पर उसने अपने पास से 500–500 रूपये के 06 नोट कुल 3,000/– रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये, जिनका विवरण इस प्रकार है :–

क्र.स.	नोट का प्रकार	नोट नम्बर
1	पांच सौ रूपये का एक नोट	5AR 799656
2	पांच सौ रूपये का एक नोट	2ND 904902
3	पांच सौ रूपये का एक नोट	0HD 633805
4	पांच सौ रूपये का एक नोट	4RS 185309
5	पांच सौ रूपये का एक नोट	6AR 993963
6	पांच सौ रूपये का एक नोट	6GD 852702

तत्पश्चात् सरकारी गाड़ी बोलेरो के डेस्क बोर्ड में रखा फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकालकर उपर्युक्त सभी नोटों को अखबार पर रखकर सरकारी गाड़ी बोलेरो के बीच की सीट पर ट्रेप दल में शामिल श्री कुमेरदान कानि0 194 से हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री परमाराम की जामा तलाशी गवाह श्री छोटूसिंह से लिवाई गई तो कोई आपतिजनक वस्तु/राशि नही मिली। श्री कुमेरदान कानि0 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 3,000/– रूपये परिवादी श्री परमाराम के पहनी पेंट की दायीं जेब में रखवाये गये। परिवादी श्री परमाराम को बताया गया कि इन नोटों को तब तक नहीं छुए जब तक आरोपिता रिश्वत की मांग नही करें तथा उसके द्वारा रिश्वत मांगने पर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोट अपनी जेब से निकाल कर उसे देवे तथा अपने कार्य से सम्बन्धित वार्ता करें। आरोपिता द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर ट्रेप दल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करें तथा मन् निरीक्षक पुलिस को मिस कॉल भी करें। यह भी ध्यान रखे कि आरोपिता रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद कहां रखती है या छुपाती है। दोनों गवाहों को भी निर्देश दिए गये कि यथा सम्भव परिवादी के आस–पास रहकर परिवादी व आरोपिता के मध्य होने वाले रिश्वती लेन–देन व इनके बीच होने वाली वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से एक कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी रंगहीन रहा। गिलास के इस रंगहीन घोल में श्री कुमेरदान कानि0 के दाहिने हाथ की

[redacted]

अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुंलाबी हो गया। इस प्रकार दोनों गवाहों व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया का महत्व दृष्टान्त देकर समझाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को दुरूस्त गाड़ी के डेस्कबोर्ड में रखवाकर गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया तथा अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया है उसे जलवाया जाकर गिलास व श्री कुमेरदान कानि0 के हाथों को साबुन व पानी से साफ धुलवाये गये। समस्त ट्रेप दल सदस्यों के हाथ साफ धुलवाकर आवश्यक निर्देश दिए गये तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साफ धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाए गये। परिवादी श्री परमाराम को वक्त रिश्वत लेन–देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये कार्यालय के वॉयस टेप रिकॉर्डर को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया। पृथक से फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा कानि0 श्री कुमेरदान को वापिस कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो, नागौर रवाना किया गया। ताबाद वक्त 10.15 ए.एम. पर परिवादी श्री परमाराम व श्री कानाराम कानि0 को परिवादी की मोटरसाईकिल से आरोपिता से मिलकर रिश्वत राशि देने हेतु आगे–आगे रवाना कर उनके पिछे मन् पुलिस निरीक्षक सुशीला विश्नोई मय स्वतंत्र गवाहान श्री छोटूसिंह व श्री सुरेश पंवार मय ट्रेप दल के सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि. 48, नेमीचन्द कानि0 405, प्रेमाराम कानि0, राजेन्द्र झूरिया कानि. 150, बालाराम कानि0 व श्रीमती संगीता म0कानि0 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह व एक प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र लिचाना को रवाना होकर राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, लिचाना के पास पहुंचे जहां सड़क पर एक साईड में दोनों वाहनों को खड़ा कर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर आरोपिता से सम्पर्क करने हेतु राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, लिचाना के अन्दर रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान ट्रेप दल के सदस्य अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, लिचाना के आस–पास खड़े होकर परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इन्तजार करनें लगे। समय 10.55 ए.एम. पर परिवादी श्री परमाराम ने राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, लिचाना के मैन गेट पर खड़ा होकर रिश्वत स्वीकृति का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेर कर किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ट्रेप दल के सदस्यों को साथ लेकर परिवादी के पास उप स्वास्थ्य केन्द्र के मैन गेट पर पहुंची एवं परिवादी से वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया, इस पर परिवादी श्री परमाराम ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं श्रीमती अनिता ए.एन.एम. से राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र के ऑफिस में मिला और मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत की तथा रिश्वत राशि के बारे में बातचीत की तो श्रीमती अनिता ए.एन.एम. द्वारा रिश्वत की मांग करने पर मैंने अपने पहनी पेंट की दायीं जेब में से रिश्वत राशि निकालकर श्रीमती अनिता ए.एन.एम. को दिये तो श्रीमती अनिता ए.एन.एम. ने रुपये अपने दाहिनें हाथ में लेकर गिनकर अपने बायें हाथ में रख लिये। उसके बाद मैंने आपको उप स्वास्थ्य केन्द्र के मैन गेट पर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा कर दिया। मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी व स्टाफ के साथ उप स्वास्थ्य केन्द्र के बायीं तरफ बने ऑफिस के अन्दर गये तो सामने कुर्सी पर बैठी महिला की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही श्रीमती अनिता ए.एन.एम. है, जिसने मेरे से अभी–अभी 3,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की है। जिस पर उक्त महिला को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए, उक्त महिला का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्रीमती अनिता गजराज पुत्री श्री बजरंग लाल जाति जाट उम्र 38 साल निवासी चिड़ावा वार्ड नम्बर 11, पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुन्झूनू हाल ए.एन.एम. राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, लिचाना, तहसील नावां, जिला नागौर होना बताया। श्रीमती अनिता ए.एन.एम. को परिवादी श्री परमाराम से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा गया तो श्रीमती अनिता ए.एन.एम. ने बताया कि मैने श्री परमाराम से कोई रिश्वत नहीं ली, जिस पर पुनः मन् पुलिस निरीक्षक ने तसल्ली पूर्वक पूछताछ की तो बताया कि मैंने श्री परमाराम से 3,000 रूपये परिवादी की भाई की पुत्री के जन्म पर राजश्री योजना का लाभ दिलवाने के लिए रजिस्टर में इन्द्राज कर दस्तावेज तैयार करने हेतु श्रीमती सरोज यादव ए.एन.एम. राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, गोगोर को देने के लिए लिये है, जो मेरे हाथ में है। मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। मैंने तो उक्त रूपये श्रीमती सरोज यादव ए.एन.एम. राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, गोगोर के कहने पर ही उसको देने के लिए लिये हैं। रजिस्टर में इन्द्राज करने का कार्य सरोज यादव का ही है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा वक्त 11.03 ए.एम. पर श्रीमती अनिता ए.एन.एम. के मोबाईल नम्बर 7571533700 से श्रीमती सरोज यादव ए.एन.एम. के मोबाईल नम्बर 7568839923 पर लाउडस्पीकर चालू कर फोन करवाया जिसे कार्यालय के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। कॉल पर श्रीमती अनिता ए.एन.एम. ने श्रीमती सरोज यादव को बताया कि मैंने 3,000 रूपये व कागज ले लिये है आपने रजिस्टर में खाली जगह रखी है या नहीं जिस पर

[redacted]

श्रीमती सरोज यादव ने सहमति जताते हुए कहा कि हां जगह रखी हुई है, कागजात यहां भिजवा देना। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि0 मय श्रीमती संगीता म.कानि. व श्री प्रेमाराम कानि. को मय सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह के श्रीमती सरोज यादव ए.एन.एम., राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, गोगोर को डिटेन करने के लिए आवश्यक हिदायत देकर गोगोर रवाना किया गया। श्रीमती अनिता ए.एन.एम. के उक्त कथन पर परिवादी श्री परमाराम नें स्वतः ही बताया कि दिनांक 02.01.2023 को मैं श्रीमती अनिता ए.एन.एम. से राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, लिचाना में मिला तथा मेरे भाई के पुत्री जन्म पर राजश्री योजना का लाभ दिलवाने बाबत बातचीत की तो आरोपिता ने राजश्री योजना का लाभ दिलवाने हेतु रजिस्टर में इन्द्राज करवाने व कागजात तैयार करवाने की एवज में 3,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग की, जो आज दिनांक को देना तय होने पर मैंने इनके कहेनुसार 3,000 रूपये अभी–अभी इनको दिये हैं, इन्होंने रूपये दाहिनें हाथ में लेकर गिनकर अपने बायें हाथ में रख लिये थे, इसके बाद मैंने उप स्वास्थ्य केन्द्र के मैन गेट पर आकर आपको ईशारा किया था। जिस पर आरोपिता श्रीमती अनिता के दाहिने हाथ में रखे रूपये गवाह श्री छोटूसिंह को दिलवाकर गिनवाये गये तो पांच सौ–पांच सौ रूपये के 06 नोट कुल 3,000/– रूपये होना बताया। जिस पर गवाह श्री छोटूसिंह के पास उक्त नोटों को सुरक्षित रखवाया गया। रिश्वत लेने की ताईद होने पर श्रीमती अनिता ए.एन.एम. का दायां व बायां हाथ कलाई के उपर से क्रमशः मन् पुलिस निरीक्षक व श्रीमती संगीता म.कानि. द्वारा पकड़े गये। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से दो कांच के साफ गिलासों में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रकियानुसार घोल तैयार किया गया। एक गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपिता श्रीमती अनिता ए.एन.एम. के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः RH–1 व RH–2 अंकित किया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपिता श्रीमती अनिता ए.एन.एम. के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः LH–1 व LH–2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ताबाद गवाह श्री छोटूसिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये नोटों को निकलवाकर दोनों गवाहों से उक्त नोटों का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो वही नोट हुबहू होना पाये गये। उपरोक्त सभी नोटो (3,000/–रूपये) को कागज की एक चिट में सील बन्द कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को कब्जा एसीबी ली गई तथा श्रीमती अनिता से परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज मांगने पर अपनी टेबल से प्रसूति केस शीट जो पूरी खाली है जिसमें पृष्ठ संख्या 01 से 11 तक है जिसमें पृष्ठ संख्या 09 पर बच्चे के दायें पैर का निशान लगा हुआ है तथा श्रीमती पूजा मेघवाल पत्नी अशोक के ममता कार्ड की फोटो प्रति के संलग्न अन्य फोटोप्रतियां कुल वर्क 7 पेश किये, जिनको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बाद अवलोकन गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसी दरमियान श्री सुरेन्द्रसिंह हैड कानि. मय जाब्ता मय डिटेन सुदा आरोपिता श्रीमती सरोज यादव ए.एन.एम. मय लेबर रूम रजिस्टर पृष्ठ संख्या 01 से 151 जिसमें पृष्ठ संख्या 30 तक दिनांक 24.12.22 तक का इन्द्राज किया हुआ है, के उपस्थित आये व मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किया। जिस पर लेबर रूम रजिस्टर को जरीये फर्द जब्ती जब्त किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द जब्ती पृथक से मुर्तिब की गई। आरोपिता श्रीमती सरोज यादव ए.एन.एम. से मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उसका परिचय पूछा तो अपना नाम श्रीमती सरोज यादव पत्नी श्री महेन्द्र यादव जाति यादव उम्र 49 वर्ष निवासी गांव चौकी गोरधनपुरा पुलिस थाना कोटपुतली जिला जयपुर हाल ए.एन.एम. राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, गोगोर, तहसील नावां, जिला नागौर होना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपिता श्रीमती सरोज यादव ए.एन.एम. से परिवादी श्री परमाराम से श्रीमती अनिता ए.एन.एम. द्वारा 3000 रूपये रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछताछ की गई तो बताया कि मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है। मेरे पास अनिता का फोन आया था और 3000 रूपये व कागजात लेना बताया और रजिस्टर में खाली जगह छोड़ी होने का पूछा तो मैंने कहा हां जगह छोड़ी हुई है, इन्द्राज कर दूंगी, उनको मेरे पास भेज दे। रिश्वत राशि मैंने नहीं ली। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत लेन देन परिवादी श्री परमाराम व आरोपिता श्रीमती अनिता ए.एन.एम. के मध्य रूबरू हुई रिकॉर्ड वार्ता व मोबाईल पर आरोपिता श्रीमती अनिता ए.एन. एम. व श्रीमती सरोज यादव ए.एन.एम. के मध्य हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वती लेन देन व रिश्वत बाबत सहमति व मिलीभगत होने की पुष्टि होना पाया गया। इस प्रकार आरोपिता श्रीमती अनिता, ए.एन.एम. राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, लिचाना, तहसील नावां, जिला नागौर द्वारा श्रीमती सरोज यादव ए.एन.एम. से मिलीभगत कर परिवादी के भाई की पुत्री के जन्म पर राजश्री योजना का लाभ दिलवाने हेतु कागजात तैयार करवाने व रजिस्टर में नाम इन्द्राज करवाने की

[redacted]

एवज में श्रीमती सरोज यादव को देने हेतु आरोपिता श्रीमती अनिता द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न 3,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर मांग के अनुशरण में 3,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त किये जानें व आरोपिता श्रीमती सरोज यादव ए.एन.एम. द्वारा रिश्वत राशि लेने पर रजिस्टर में नाम इन्द्राज करने की सहमति प्रदान करने पर आरोपिता श्रीमती अनिता गजराज पुत्री श्री बजरंग लाल जाति जाट उम्र 38 साल निवासी चिड़ावा वार्ड नम्बर 11, पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुन्झूनू हाल ए.एन.एम. राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, लिचाना, तहसील नावां जिला नागौर व श्रीमती सरोज यादव पत्नी श्री महेन्द्र यादव जाति यादव उम्र 49 वर्ष निवासी गांव चौकी गोरधनपुरा पुलिस थाना कोटपुतली जिला जयपुर हाल ए.एन.एम. राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, गोगोर तहसील नावां जिला नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 पी.सी. (संशोधन) एक्ट 2018 व 120बी भा.दं.सं. का प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने से श्रीमती अनिता ए.एन.एम. व श्रीमती सरोज यादव ए.एन.एम. को बारी–बारी जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक–पृथक मुर्तिब की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका निरीक्षण घटनास्थल मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपिता श्रीमती सरोज यादव ए.एन.एम. राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, गोगोर द्वारा प्रस्तुत लेबर रूम रजिस्टर को जरीये फर्द जब्ती जब्त किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द जब्ती पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद मन् पुलिस निरीक्षक सुशीला विश्नोई मय परिवादी श्री परमाराम व स्वतंत्र गवाहान श्री छोटूसिंह व श्री सुरेश पंवार मय गिरफ्तार सुदा आरोपिताओं श्रीमती अनिता ए.एन.एम. व श्रीमती सरोज यादव ए.एन.एम. मय ट्रेप दल के सदस्यों जरीये सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह व एक प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर व मय माल वजह सबूत के बाद ट्रेप कार्यवाही उप स्वास्थ्य केन्द्र लिचाना से रवाना होकर पुलिस थाना कुचामन सिटी पहुंच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई। वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा वॉयस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की दो डीवीडियां पृथक–पृथक बनवाई गई। ताबाद वॉयस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर न्यायालय हेतु तथा वार्ता की दोनों डीवीडियां कागज के लिफाफे में बन्द कर आरोपी व अनुसंधान अधिकारी हेतु सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता व आरोपिता श्रीमती अनिता व श्रीमती सरोज यादव के मध्य हुई मोबाईल वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा वॉयस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकॉर्डर में दर्ज वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता व आरोपिताओं के मध्य हुई मोबाईल वार्ता की तीन डीवीडियां पृथक–पृथक बनवाई गई। ताबाद वॉयस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर न्यायालय हेतु तथा वार्ता की तीनों डीवीडियां कागज के लिफाफों में पृथक–पृथक बन्द कर आरोपिताओं व अनुसंधान अधिकारी हेतु सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तार सुदा आरोपिताओं का राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी से स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। बाद कार्यवाही परिवादी को रूखसत किया गया। ताबाद मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तार सुदा आरोपिताओं श्रीमती अनिता ए.एन.एम. व श्रीमती सरोज यादव ए.एन.एम. मय ट्रेप दल के सदस्यों के जरीये सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह व एक प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर व मय माल वजह सबूत के बाद ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना कुचामन से रवाना होकर एसीबी चौकी नागौर पहुंच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बरामद रिश्वत राशि 3,000/– रुपये, शील्ड शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH–1, RH–2, LH–1, LH–2, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड व आरोपिता हेतु रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की एक डीवीडी, वक्त रिश्वत लेन–देन व आरोपिताओं के मध्य मोबाईल वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड व आरोपिताओं हेतु रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की दो डीवीडी, जामा तलाशी माल एक मोबाईल सैमसंग एस–10 प्लस बरंग काला मय सीम कार्ड व एक मोबाईल रियलमी कम्पनी का मोडल आरएमएक्स3511 बरंग काला मय सीम कार्ड माल मालखाना प्रभारी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि. 48 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही का समय–समय पर रनिंग नोट पृथक से तैयार किया गया।

उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपिता श्रीमती अनिता, ए.एन.एम. राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, लिचाना, तहसील नावां, जिला नागौर द्वारा आरोपिता श्रीमती सरोज यादव ए.एन.एम. से मिलीभगत कर परिवादी के भाई की पुत्री के जन्म पर राजश्री योजना का लाभ दिलवाने हेतु कागजात तैयार करवाने व रजिस्टर में नाम इन्द्राज करवाने की एवज में श्रीमती सरोज यादव

[redacted]

को देने हेतु आरोपिता श्रीमती अनिता द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न 3,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर मांग के अनुशरण में 3,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त किये जानें व आरोपिता श्रीमती सरोज यादव ए.एन.एम. राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, गोगोर, तहसील नावां, जिला नागौर द्वारा रिश्वत राशि लेने पर रजिस्टर में नाम इन्द्राज करने की सहमति प्रदान करने पर आरोपिता श्रीमती अनिता गजराज पुत्री श्री बजरंग लाल जाति जाट उम्र 38 साल निवासी चिड़ावा वार्ड नम्बर 11, पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुन्झूनू हाल ए.एन.एम. राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, लिचाना, तहसील नावां जिला नागौर व श्रीमती सरोज यादव पत्नी श्री महेन्द्र यादव जाति यादव उम्र 49 वर्ष निवासी गांव चौकी गोरधनपुरा पुलिस थाना कोटपुतली जिला जयपुर हाल ए.एन.एम. राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, गोगोर तहसील नावां जिला नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 पी.सी. (संशोधन) एक्ट 2018 व 120बी भा.दं.सं. का प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त आरोपिताओं के विरूद्व उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्व करनें हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

भवदीया,

(सुशीला विश्नोई)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
नागौर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती सुशीला विश्नोई, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं आरोपिया 1. श्रीमती अनिता गजराज पुत्री श्री बजरंग लाल, ए.एन.एम., राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, लिचाना, तहसील नावां, जिला नागौर एवं 2. श्रीमती सरोज यादव पत्नी श्री महेन्द्र यादव, ए.एन.एम., राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र गोगोर, तहसील नावां, जिला नागौर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 02/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

5.1.23

(योगेश दाधीच)

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 15-18 दिनांक 5.1.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संख्या-1, जोधपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर।

5.1.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।